वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
मत्स्य पालन विभाग
हिमाचल प्रदेश
वित्तीय वर्ष 2010-11
(01-04-2010 से 31-03-2011 तक)

1. पुर्वावलोकनः

मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश की स्थापना वर्ष 1966 में एक स्वतन्त्र विभाग के रूप में हुई इससे पूर्व वन विभाग का एक अंग इस कार्य की देख–रेख कर रहा था । जिसके फलस्वरूप प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों का वैज्ञानिक ढंग से विकास व इस कार्य में कार्यरत प्रदेशवासियों के उत्थान के लिए विभाग स्वतन्त्र रूप से प्रयासरत हुआ तथा प्रदेश में निम्नलिखत जल संसाधनों का वैज्ञानिक रूप से विकास किया ।

1.	शीतल जल– ट्राउट जल	–	600	कि0मी0
2.	सामान्य जल	–	2400	कि0मी0
3.	जलाशय जल स्त्रोत	–	26390	हैक्टेयर
4.	तालाबों एवं छोटे चश्मों के रूप में सामान्य जलक्षेत्र	–	1000	हैक्टेयर
5.	ठण्डे क्षेत्रों की प्राकृतिक झीलें एवं निर्मित तालाब	–	725	हैक्टेयर

2. विभाग का संरचनात्मक ढाँचाः

मत्स्य पालन विभाग में निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य के अतिरिक्त 2 उप–निदेशक मत्स्य, 8 सहायक निदेशक मत्स्य, 4 वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी व 23 मत्स्य अधिकारी अपने सहयोगी कर्मचारियों के साथ कार्य निष्पादन कर रहे हैं । वर्ष 2010–11 के दौरान **श्री राम सुभग सिंह, सचिव** (मत्स्य पालन) के रूप में विभाग के मार्गदर्शक तथा **श्री बी0डी0 शर्मा, निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य** रहे । निदेशालय स्तर पर श्री गुरचरण सिंह (उप निदेशक मत्स्य), श्री पी0सी0पटियाल (सहायक निदेशक मत्स्य–मु0) व श्री सुशील जनारथा (सहायक निदेशक मत्स्य–20सूत्रीय), समस्त तैनात कर्मचारी वर्ग के साथ तथा क्षेत्रीय स्तर पर कुल्लू में उप निदेशक मत्स्य, पतलीकूहल व अन्य जिलों में सहायक निदेशक मत्स्य विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदाई रहे, केवल जिला हमीरपुर व सिरमौर में यह कार्य वरिष्ठ मत्स्य अधिकारियों द्धारा सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य की देखरेख में, जिला किन्नौर में मत्स्य अधिकारी, सांगला द्धारा तथा लाहौल स्पिति में विभाग का कोई अधिकारी न होने के कारण कार्य वन मण्डल अधिकारी द्धारा क्रियान्वित किया गया ।

3. 10वीं पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना 2010–11 के (क) लक्ष्य एवं प्राप्तियॉं:

क्र0 सं0	मद	11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य (2007–12)	वर्षिक योजना 2010–11 के लिए निर्धारित लक्ष्य	वर्षिक योजना 2010–11 में प्राप्तियॉं
1	मत्स्य उत्पादन टन	40,000	7,608	7,381
2	कार्प बीज उत्पादन मिलियन	100	24	20.33
3	ट्राऊट ओवा उत्पादन लाख	20	9.00	8.64
4	कार्प बीज फार्मो की स्थापना नं0	9	1नं0 (मच्छयाल फार्म निर्माणाधीन)	निर्माण कार्य प्रगति पर
5	ट्राऊट बीज फार्मो की स्थापना नं0	7	1नं0 (हामिनी जिला कुल्लू)	निर्माण कार्य प्रगति पर
6.	नर्सरी क्षेत्र है0	17	–	–

4. विभागीय उद्देश्य:

विभाग निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयासरत है ।

- प्रदेश में मछली पालन योग्य जलों के उचित प्रबन्ध से मत्स्य उत्पादन में बढोतरी ।
- खुले जल में प्रति हैक्टेयर मत्स्य उत्पादन बढाने की दृष्टि से जलाशय मत्स्य पालन को विकसित करना ।
- जलाशय तथा नदी नालों में बीज संग्रहण कार्यक्रम में वृद्धि के उद्देश्य से भारतीय तथा विदेशी मछलियों जैसे महाशीर, ट्राऊट व अन्य समशीतोषण प्रजातियों का बीज उत्पादन करना ।
- राज्य में क्रीडा मत्स्य को बढ़ावा देने विशेषतय: ट्राऊट का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करना है ।
- राज्य में मत्स्य पालन के विस्तार हेतू मछुआरों एवं ग्रामीण युवकों को तकनीकी प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना ।
- मत्स्य क्षेत्र में रोज़गार के सुअवसर प्रदान करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की दशा सुधारने में योगदान करना ।
- निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज उत्पादन एवं मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना ।
- मत्स्य सहकारी सभाओं के अन्तर्गत कार्यरत मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन ।
- मत्स्य उत्पादन में बढ़ौतरी हेतू नवीनतम उपयुक्त प्रजातियों के सम्बर्धन को बढ़ावा देना ।

5. वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धियां:

- इस वर्ष राज्य में विद्यमान सभी जल स्त्रोतों से मु0 3,967 लाख रूपये की 7,381 टन मछली का उत्पादन किया गया ।

- विभागीय ट्राऊट फार्मो से इस वर्ष 19.07 टन खाने योग्य ट्राऊट का उत्पादन किया गया है, जिससे विभाग को विभागीय ट्राऊट फार्मो से 89.26 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है जो कि ट्राऊट कार्य क्षेत्र में विभाग की अब तक की सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति है । इस वर्ष निजि क्षेत्र में भी लगभग 57 टन, मु0 126 लाख रूपये की ट्राऊट मछली का उत्पादन भी किया गया है । प्रदेश में रेनबो ट्राऊट के सफलतापूर्वक प्रजनन के परिणामस्वरूप न केवल कुल्लू जिला अपितु शिमला, मण्डी, काँगड़ा व चम्बा जिला में भी निजी क्षेत्र में ट्राऊट कृषक इकाईयों की स्थापना की गई है।
- राज्य में कार्प मछली उत्पादन को बढावा देने की दृष्टि से अमूर कामन कार्प मछली के बीज का आयात किया गया था जिसका इस वर्ष भी सफलतापूर्वक प्रजनन करवा लिया गया है । प्रदेश के निचले क्षेत्रों में कार्प उत्पादन को इससे बहुत बढ़ावा मिलेगा।
- इस वर्ष विभाग द्वारा सभी संसाधनों से 200.43 लाख रूपये का राजस्व अर्जित किया है जोकि निर्धारित लक्ष्य से 79.63 लाख रूपये अधिक है ।
- राज्य के प्रमुख जलाश्यों में इस वर्ष 4069 (गोविन्दसागर 1902, पौंग डेम 2006, चमेरा 131 व रणजीत सागर 30) माहीगीरों को पूर्णकालीन स्वरोजगार उपलब्ध करवाया गया जिनसे 5.88 करोड़ रूपये मूल्य की 956 टन मछली का उत्पादन किया है, जिससे मछुआरों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई है ।

- विभागीय कार्प फार्मो से वर्ष 2010-11 में 203.25 लाख मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया है ।

- राज्य में मत्स्य आखेट की गतिविधियों में कार्यरत 7118 माहीगीरों को निशुल्क जीवन सुरक्षा निधि के अन्तर्गत लाया गया है जिसके अन्तर्गत उनके आश्रितों को मत्स्य आखेट के दौरान मृत्यु होने की दशा में 1,00,000/–रू0 तथा अपंगता की दशा में 50,000/–रूपये प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है ।
- इस वर्ष 3038 सक्रिय जलाशय माहीगीरों को बन्द आखेट मत्स्य सीजन के दौरान मु0 24.30 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई ।
- जलाशयों में कार्यरत माहीगीरों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण मत्स्य आखेट उपकरणों को होने वाले नुक्सान की भरपाई हेतु सभी मछुआरों को जोखिम निधि योजना के अन्तर्गत लाया गया है । इस वर्ष इस योजना के अन्तर्गत 3939 माहिगिरों ने 20/–रू0 की दर से इस कोष में कुल 78,752/–रू0 एकत्रित किए।
- मत्स्य पालन को राज्य में बढ़ावा देने तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत 290 नए रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं।
- मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के अन्तर्गत 15.48 हैक्टेयर नए क्षेत्रों को जलचर पालन के अन्तर्गत लाया गया है और 13.39 हैक्टेयर पुराने तालाबों का सुधार किया गया है तथा मु0 17.028 लाख रूपये मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के अन्तर्गत चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा मत्स्य कृषकों को वितरित किए गए हैं ।

6. वार्षिक योजना 2010–11ः

हिमाचल प्रदेश राज्य का दर्जा प्राप्त करने के उपरान्त निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता हुआ आज देश के पहाडी राज्यों में एक आदर्श राज्य के रूप में उभर रहा है । प्रदेश में हरित क्रान्ति, श्वेत क्रान्ति आने के बाद अब प्रदेश नील क्रान्ति की ओर अग्रसर हो रहा है । अतः इसे व्यवहारिक रूप देने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) में 1595 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है तथा वार्षिक योजना 2010–2011 में 263 लाख रूपये के संशोधित उद्व्यय से निम्नांकित योजना स्कीमें क्रियान्वित की गई हैं।

7. प्रशासन एवं निर्देशनः–

प्रदेश में नियोजित विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के समय से मछली पालन विभाग के प्रमुख कार्य नदीय स्त्रोतों में परिग्रहण मत्स्यकि को बढावा देना था परन्तु राज्य में विद्युत परियोजनाओं के स्थापित होने के कारण मत्स्य उत्पादन के नए स्त्रोत, जलाशयों के तौर पर उत्पन्न हुए हैं जिनसे प्रदेश के कुल मत्स्य उत्पादन का 13% मत्स्य उत्पादन हो रहा है । प्रदेश के निचले तथा ऊपरी क्षेत्रों में नदी घाटी योजनाओं में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है । प्रदेश के उपलब्ध संसाधनों का तेज

गति से उपयुक्त विकास करने हेतु चलाई जा रही योजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए विभाग के प्रशासनिक ढाँचे को मजबूत किए जाने का प्रस्ताव है । प्रदेश के मत्स्यकि संसाधनों पर दोहन का दवाब यद्यपि दिनों-दिन बढता जा रहा है परन्तु इनमें मत्स्य विकास व संरक्षण पर नियुक्त कर्मचारी बल की संख्या दिन प्रति दिन घट रही है । इस वर्ष कुल स्वीकृत पदों में लगभग 80 पद खाली चल रहे हैं ।

क्र0 सं0	योजना का नाम	वर्ष 2010-11 के बजट प्रस्ताव	वर्ष 2010-11 में व्यय
1.	निदेशन एवं प्रशासन	**24.77 लाख**	**24.77 लाख**

8. प्रमुख विभागीय योजनाएंः

(क) अन्तर्देशीय जलाश्यों में मत्स्यकि का प्रबन्ध एवं विकास :

(i) जलाश्य संरक्षणः

प्रदेश के जलाश्यों का प्रदेश के मत्स्य उत्पादन में प्रमुख स्थान है ।

कुल उत्पादन का लगभग 13% जलाश्यों से हो रहा है इसी तरह यह संसाधन बाँध विस्थापितों की आर्थिक दशा को सुदृढ करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं । इन जलाश्यों में मत्स्य उत्पादन की बढौतरी के लिए 15-25 मि. मी. आकार का बीज संग्रहित किया जा रहा है । जिसके बहुत उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं व इस वर्ष जलाश्यों से मत्स्य उत्पादन वृद्धि में गतिशीलता पाई गई।

क्रमाँक	योजना का नाम	वर्ष 2010-11 के लिए बजट प्रस्ताव	वर्ष 2010-11 में व्यय
1.	जलाश्य संरक्षण	**5.68 लाख**	**5.68 लाख**

वर्ष 2010–11 के दौरान मत्स्य उत्पादन एवं राजस्व प्राप्तियाँः

जलाश्य का नाम	मत्स्य उत्पादन (मि0 टन)	राजस्व (लाखों में)	बीज संग्रहण (लाखों में)
गोविन्द सागर	662.121	50.614	62.42
पौंग डैम	279.163	45.883	58.40
चमेरा	3.482	0.529	6.00
रणजीत सागर	11.413	0.693	.....
कुल	**956.179**	**97.718**	**126.82**

(ii) कार्प बीज उत्पादनः–

राज्य में पहले ही छः कार्प बीज फार्म, दवेली, अलसू, नालागढ, गगरेट, कांगडा तथा सुल्तानपुर में स्थापित किये गये हैं । मत्स्य बीज की बढती मांग तथा राज्य में बहुतायत से पनबिजली परियोजनाओं के तैयार हो जाने को ध्यान में रखते हुए उत्तम किस्म की मछली के बीज की आवश्यकता अत्यधिक बढ गई है । इस प्रयोजन से सभी फार्मो पर प्रबन्धन की दृष्टि से आवश्यक फेरबदल किया जाना वांछित था । उक्त के दृष्टिगत इन फार्मो से वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण

मछलियों के बीज उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए कार्प बीज केन्द्र देवली (धागस) को हिमाचल प्रदेश मत्स्यकि सम्बर्न्धन, दोहन और विपणन समिति के अर्न्तगत स्थानान्तरित कर दिया गया है । मछली तथा मछली बीज उत्पादन के लिए मछली बीज केन्द्र नालागढ (सोलन) व गगरेट (ऊना) को निजि उद्यमियों को पटटे पर दिया गया। राज्य में कामन कार्प मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अमूर कार्प मछली प्रजाति को हिमाचल के मत्स्य फार्म अल्सू (मण्डी) में सफलतापूर्वक प्रजनन करवा लिया गया है ताकि इसके उत्पादन से मत्स्य पालकों को अधिक लाभ प्राप्त हो सके।

प्रदेश में मत्स्य क्रीडा को रूचिकर बनाये रखने से पर्यटन विकास में वृद्धि की जानी संभव है । इसलिए प्रदेश के नदीय स्त्रोंतों में मत्स्य बीज संग्रहित करना अतिआवश्यक हैं । महाशीर मछली प्रदेश के जलों की मूल मछली है । अतः प्रदेश के जलों को महाशीर मछली से भरपूर रखने के लिए इन जलों में फार्म से उत्पादित अर्न्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महाशीर मछली के क्षुद्रमीनों को संग्रहित किया जाना आवश्यक है । इस वर्ष विभागीय कार्प बीज फार्मो से मार्च 2011 तक 203.25 लाख क्षुद्रमीनों का उत्पादन किया गया है जिसमें से 7.80 लाख क्षुद्रमीन राज्य के जलाश्यों में संग्रहित किए गए ।

क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2010-11 के लिए बजट प्रावधान	वर्ष 2010-11 में व्यय
1.	कार्प बीज उत्पादन	75.19 लाख	74.19 लाख

इस योजना में दयोली, (बिलासपुर), अलसू (मंण्डी), सुल्तानपुर (चम्बा) व कांगड़ा फार्मों पर पहले से प्रारम्भ किये गये विभिन्न विस्तारीकरण कार्य इस वर्ष भी चालू रहे । कार्प फार्मों पर उत्पादित क्षुद्रमीनों का विवरण इस प्रकार है :-

क्रम	कार्प फार्म का नाम	बीज उत्पादन (लाखों में)
1.	दयोली (बिलासपुर)	101.62
2.	अल्सू (मण्डी)	36.68
3.	कांगड़ा	14.88
4.	सुल्तानपुर (चम्बा)	50.07
	कुलः-	203.25

(ख) क्रीडा मत्स्यकि का प्रबन्ध एवं विकासः

विभाग द्धारा चरणबद्ध तरीके से पुराने फार्मों के नवीनीकरण विस्तार एवं नए ट्राऊट फार्मों का निर्माण कार्य शुरू किया है जिस के अन्तर्गत बरोट तथा धमवाडी फार्म में जल आपूर्ति एवं आधुनिक हैचरी की स्थापना का कार्य शुरू किया गया। नागनी (कुल्लू) फार्म हेतु भूमि अधिग्रहण करके निर्माण कार्य शुरू कर दिया है । विद्युत परियोजनाओं से पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए ट्राऊट बीज का अधिक मात्रा में नदियों में संग्रहण किया जाना आवश्यक हो गया है तथा प्रदेश में कार्यरत ट्राऊट मत्स्य कृषकों की मांग को भी इन फार्मों से पूरा किया जा रहा है । इसलिए विभागीय ट्राऊट फार्मों बरोट, सांगला, होली तथा धमवाडी के आधुनिकीकरण का कार्य आगे भी जारी रखने का प्रस्ताव है । विभाग का मुख्य उद्देश्य इन फार्मों को इन्डो-नौरवेजियन ट्राऊट फार्म पतलीकूहल के स्तर तक पहुँचाना है । इन फार्मों से उचित गुणवता के बीज उत्पादन पर विभाग का विशेष ध्यान है ताकि निजी क्षेत्र में ट्राऊट कृषकों को बढावा दिया जा सके । इस वर्ष 8.64 लाख ट्राउट बीज का उत्पादन सरकारी क्षेत्र के बीज फार्मों से हुआ है।

क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2010–11 के बजट प्रस्ताव	वर्ष 2010–11 में व्यय
1.	ट्राऊट बीज उत्पादन	54.93 लाख	54.61 लाख

(ग) वाणिज्यिक ट्राऊट उत्पादनः–

राज्य के ऊपरी क्षेत्रों के ठंडे क्षेत्रों में जल संसाधनों के दोहन तथा मत्स्य कृषि को बढ़ावा देने के लिए विदेशी सहायता से राज्य में ट्राऊट कृषि परियोजना की शुरूआत वर्ष 1989 में की गई थी जो वर्ष 1998 में पूर्ण हो गई है जिसके मुख्य उद्देश्य आधुनिक ट्राऊट फार्म, हैचरी, रेनबो ट्राऊट, ओवा का उत्पादन एवं विकास, स्थानीय तौर पर मिलने वाले घटकों से कृत्रिम

आहार का उत्पादन तथा परियोजना अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रशिक्षण योजना में से सभी को पूर्ण कर लिया गया है । प्राकृतिक आपदाओं को पार करते हुए रेनबोट्राऊट बीज व आहार के उत्पादन तकनीक को विकसित कर लिया है जोकि कुछ ही राज्यों के पास उपलब्ध है । इस तकनीक को मत्स्य कृषकों तक पहुँचाने में भी विभाग द्धारा कार्य किया गया है । जिसके कारण प्रदेश में ट्राऊट मत्स्य कृषकों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ रही है तथा हिमाचल प्रदेश निजि क्षेत्र में ट्राऊट पालन आरम्भ कराने वाला देश का पहला राज्य बना है । वर्ष 2010–11 में विभाग का मुख्य उद्देश्य मत्स्य बीज व आहार उत्पादन बढ़ाने तथा निजि क्षेत्र में अधिक से अधिक ट्राऊट मत्स्य कृषकों को जोड़ना रहा है ।

वर्ष 2010–11 में निजि ट्राऊट मत्स्य पालकों के फार्मों से 57 टन ट्राऊट, जिसका मूल्य 126 लाख रू0 है, का उत्पादन किया गया है । विभागीय फार्मों से भी रू0 89.26 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है जोकि आज तक का सर्वोत्तम राजस्व है ।

क्रम	ट्राऊट फार्म का नाम	मत्स्य उत्पादन (टनों में)	राजस्व प्राप्ति (लाखों में)
1.	पतलीकुहल (कुल्लू)	13.13	66.65
2.	बरोट (मण्डी)	2.93	10.44
3.	सांगला (किन्नौर)	1.15	3.67
4.	धमवाड़ी (शिमला)	1.86	7.10
5.	होली (चम्बा)	0.004	1.40
	कुलः–	19.074	89.26

(घ) कार्प बीज फार्मों का विकास एवं रख–रखावः

यह तथ्य सर्वमान्य है कि हिमाचल प्रदेश की नदियों में गोल्डन महाशीर मछली क्रीडा मात्स्यिकि के लिए प्रसिद्ध है । कुछ प्राकृतिक कारणों एवं बीज उत्पादन प्रणाली के विकसित न होने के कारण प्रदेश के जलों में इस प्रजाति की गुणात्मक और मात्रात्मक कमी हो रही है । प्रदेश के जलों में इस मछली की पुर्नस्थापना करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रदेश के उपयुक्त जलों में इस प्रजाति के फार्म पर उत्पादित अंगुलिमीनों का उचित मात्रा में संग्रहण किया जाए । इस उद्धेश्य की पूर्ति के लिए इस वर्ष जिला मण्डी के मच्छियाल नामक स्थान पर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अर्न्तगत 505 लाख रूपये की लागत से एक महाशीर मछली बीज फार्म की स्थापना हेतु निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसमें वर्ष 2011 तक मछलीपालन कार्य शुरू होने की आशा है ।

क्र0स0	योजना का नाम	बजट प्रस्ताव 2010–11	वर्ष 2010–11 में व्यय
1.	कार्प बीज फार्मों का विवरण	31.78 लाख	31.73 लाख

(ङ) ताजा जलचर पालन कार्यक्रम को बढावा देना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना)

मत्स्य पालन कार्यक्रम को बढावा देना विभाग की प्रमुख प्राथमिकता है ताकि प्रदेश में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ स्वरोजगार के अवसर भी बढाये जा सकें । इसी दृष्टि से केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत मत्स्य कृषक विकास अभिकरणों की स्थापना की गई है । जिसकी सहायता से प्रदेश के जल संसाधनों के दोहन के लिए आम जनता को प्रोत्साहित किया जा रहा है । इस योजना के अन्तर्गत चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार से हैं ।

क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2010–11 के लिए स्वीकृत बजट	वर्ष 2010–11 में व्यय
1.	ताजा जलचर पालन कार्यक्रम को बढावा देना	13.55 लाख	13.55 लाख

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के अन्तर्गत चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाएंः

- नए मछली तालाब निर्माण हेतू जिनमें स्थायी जलापूर्ति व्यवस्था का प्रावधान हो, रूपये 4 लाख प्रति हैक्टेयर की दर से तालाब निर्माण के खर्चे पर 20 प्रतिशत अनुदान के रूप में

किसानों को दिया जाता है । जिसकी अधिकतम सीमा 80 हजार रूपये प्रति हैक्टेयर है । अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मत्स्य पालकों के लिए अनुदान की दर 25 प्रतिशत है तथा अनुदान की अधिकतम सीमा एक लाख रूपये प्रति हैक्टेयर है । इस वर्ष नए तालाबों के अन्तर्गत 15.48 हैक्टेयर भूमि लाई गई है ।

- पुराने जल क्षेत्रों (तालाबों) की मुरम्मत के लिए 15,000 रू0 प्रति है0 की दर से अनुदान सहायता प्रदान की जाती है अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के मत्स्यपालकों के लिए राशि 18,750 रूपये प्रति है0 है । इस वर्ष पुराने तालाबों के अन्तर्गत 13.39 हैक्टेयर जल क्षेत्रों की मुरम्मत की गई ।

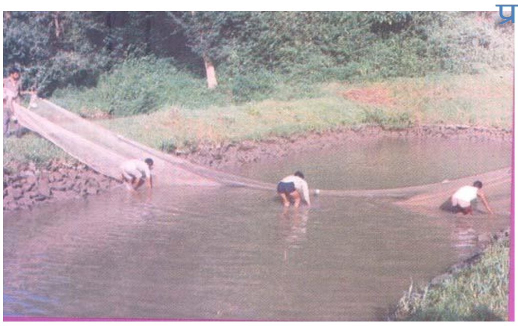

- मत्स्य पालन अपनाने पर प्रथम वर्ष में मछली बीज, खाद, खुराक इत्यादि पर दिये जाने वाले व्यय में 20 प्रतिशत से या 10,000 रू0 प्रति है0, जो कम हो, अनुदान दिया जाता है । अनुसूचित जाति वर्ग के मत्स्य पालकों के लिए यह राशि 12,500 रू0 प्रति है0 है । इस वर्ष प्रथम वर्षीय अनुदान के रूप में मु0 **1.784** लाख रूपये वितरित किए गए।

- मछली आहार के लिए आहार संयत्र स्थापित करने की अनुमानित निर्माण राशि 7.5 लाख रू0 जोकि भवन, मशीनरी व कलपुर्जों का खर्चा है, जिसमें 20 प्रतिशत की दर से कुल अनुदान 1.5 लाख रू0 दिया जाता है ।

- ताजे पानी की मछली बीज उत्पादन के लिए 10 मिलियन ाई की क्षमता वाली हैचरी के लिए अनुमानित लागत राशि 16 लाख रू0 की 10 प्रतिशत की दर से 1.60 लाख रू0 अनुदान की सुविधा प्राप्त है ।

- सजावटी मछली पालकों के लिए हैचरी सहित समेकित यूनिटों के लिए 1.50 लाख रू0 की अधिकतम सीमा के साथ 10 प्रतिशत की दर से अनुदान सहायता प्रदान की जाती है ।

(च) अनुसूचित जाति उप योजनाः

मत्स्य पालन विभाग सभी ग्रामीणों विशेषकर अनुसूचित जाति से सम्बन्धित जन समुदाए के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने, उनका आर्थिक व सामाजिक पुनरूत्थान करने में विशेष योगदान प्रदान करता है । व्यवसायिक मत्स्य ग्रहण समाज के सभी कमजोर वर्ग की मूल आवश्यकता उत्पादन तथा रोजगार उपलब्ध करवाने में सक्षम है । इस को मध्यनजर रखते हुए 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) में 150 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया है तथा वार्षिक योजना 2010–11 में 25.94 लाख रूपये के संशोधित उदव्यय से निम्नलिखित योजनाऐं क्रियान्वित की गई हैं ।

(i) सामुदायिक तालाबों का निर्माणः–

व्यक्तिगत तौर की अपेक्षा सामुदायिक तौर पर स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से इस योजना की रूपरेखा तैयार की गई है ताकि अधिक से अधिक मत्स्य कृषकों को मत्स्य गतिविधियों से जोड़ा जा सके तथा आर्थिक एवं सामाजिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लोगों को एक मंच पर सामूहिक कार्य हेतू प्रेरित किया जा सके । यह योजना प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जीर्ण–शीर्ण अवस्था में पडे तालाबों के पुर्ननिर्माण/मुरम्मत तथा सरकारी भूमि पर नये तालाबों के निर्माण के लिए शुरू की गई है । अनुसूचित जाति बहुल्य गावों में इस प्रकार के तालाबों का निर्माण करवाकर उसी क्षेत्र के अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मत्स्य पालन हेतू पट्टे पर दिया जाता है ।

क्र0सं0	योजना का नाम	वर्ष 2010–11 के लिए बजट प्रावधान	वर्ष 2010–11 में व्यय
1.	सामुदायिक तालाब का निर्माण	24.91 लाख	24.91 लाख

(ii) विज्ञापन एवं प्रचारः–

मत्स्य अधिग्रहण का कार्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों द्वारा किया जाता है, जिसमें अधिकतर अनुसूचित जाति के लोग होते हैं जोकि विभागीय योजनाओं से अधिक जागरुक नहीं होते, उन तक विभागीय योजनाओं को पहुँचाने हेतु विभाग प्रयासरत है । वर्ष 2010–11 का बजट प्रावधान निम्न प्रकार से है :–

क्र0सं0	योजना का नाम	वर्ष 2010–11 के लिए बजट प्रावधान	वर्ष 2010–11 में व्यय
1.	विज्ञापन एवं प्रसार	0.24 लाख	0.23 लाख
2.	अन्य प्रभार	0.79 लाख	0.75 लाख

(छ) जनजातिय क्षेत्र उप योजनाः

हिमाचल प्रदेश के जन जातिय क्षेत्र में 1. किन्नौर 2. लाहुल स्पिति 3. चम्बा जिले के भरमौर व पाँगी क्षेत्र शामिल हैं । यह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के पूर्ण क्षेत्रफल का 42.4 प्रतिशत है । जन जातिय क्षेत्र में सतलुज, रावी, व्यास और चिनाव के उपरी भाग आते हैं । जिनमें ट्राउट पालन विकास की सम्भावनाएँ विद्यमान हैं । इन क्षेत्रों में अधिक उँचाई पर स्थित झीलें जैसे चंद्रताल (4000 मीटर), माने (4300 मीटर), नाको (4100 मीटर) किरगौर (3500 मीटर) इत्यादि हैं । यह झीलें ट्राउट पालन के लिए विकसित की जा रही हैं । जन जातिय क्षेत्र में 5 एकीकृत जनजातिय परियोजनाओं में से केवल एकीकृत जनजातिय विकास परियोजना किन्नौर तथा लाहुल व स्पिति के लिए ही तीन मत्स्य अधिकारियों के पद स्वीकृत हैं परन्तु किन्नौर के अतिरिक्त अन्य दोनों स्थानों पर पद रिक्त चल रहे हैं। एकीकृत जन जातिय विकास परियोजना भरमौर में मत्स्य अधिकारी नियुक्त नहीं हैं। पांगी क्षेत्र में भी मत्स्य पालन विभाग का कोई भी कर्मचारी तैनात नहीं है । जन जातिय क्षेत्र में मत्स्य विकास को तकनीकी कर्मचारियों की कमी की वजह से वांछित गतिशीलता प्राप्त नहीं हो सकी है । इस योजना के अन्तर्गत चम्बा जिला के होली में ट्राउट फार्म स्थापित किया गया है । इस लिए विभाग हर वर्ष अपने वार्षिक योजनाओं में प्रावधान रखता है परन्तु इन प्रस्तावों को अभी तक सरकार की स्वीकृति नहीं मिली है । इस वर्ष के दौरान ट्राउट बीज फार्म सांगला के उचित प्रबन्ध पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि यह फार्म वास्पा एवं किन्नौर जिला की अन्य छोटी नदियों की ट्राउट बीज की आवश्यकता को पूरा कर सके । सांगला फार्म के जलक्षेत्र में विस्तार का कार्य जारी रहा । चम्बा जिला के जनजातिय क्षेत्र के जलों में ट्राउट बीज की मांग को पूरा करने के लिए भरमौर क्षेत्र के होली स्थान पर एक ट्राउट बीज फार्म की स्थापना की गई है । इस वर्ष इस स्कीम में केन्द्र सरकार से विशेष सहायता के रूप में स्वीकृत क्रमशः जिला चम्बा के चम्बा और भटियात क्षेत्र में 1.00 लाख, जिला किन्नौर में 1.45 लाख रूपये, जिला चम्बा के भरमौर क्षेत्र के लिए 0.66 लाख रू0, लाहौल के लिए 0.60 लाख रू0 और गैर जन जातिय क्षेत्रों में रह रहे जनजातियों से सम्बन्धित इच्छुक मत्स्य पालकों के लिए मु0 1.95 लाख रूपये ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों तथा रेसवेज़ के निर्माण हेतू सहायता अनुदान के रूप में वितरित किये गये जिसके परिणामस्वरूप 72 मत्स्य किसानों को 5.09 लाख रू0 की अनुदान सहायता से लाभान्वित करवाया गया ।

क्रमांक	योजना का नाम	स्वीकृत संशोधित बजट	वर्ष 2010-11 में व्यय
1.	जनजातिय उप योजना	11.52 लाख	9.33 लाख

(ज) मत्स्यकि में आंकड़ों के आधार को सुदृढ़ करना तथा सूचना प्रोद्यौगिकी को बढ़ावा देनाः

दसवीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2002–03 में **'मत्स्यकि में आकडों के आधार को सुदृढ करना तथा सूचना प्रोद्यौगिकी को बढ़ावा देना'** नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना का शुभारम्भ हुआ । हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में इस योजना को शुरू करने हेतू विभाग को सितम्बर, 2003 में स्वीकृति प्रदान की है । विभिन्न श्रेणियों के चार पदों को सृजित करके उन्हें भरे जाने की औपचारिकताएं मार्च, 2004 को पूर्ण हो पाई जिसके साथ ही राज्य में यह योजना प्रारम्भ हो गई । इस योजना का मुख्य उद्देश्य मत्स्य से सम्बन्धित मात्रात्मक एवं गुणात्मक सूचनाओं को वैज्ञानिक आधार पर आधारित तकनीक द्वारा एकत्रित करना तथा किसी क्षेत्र में उपलब्ध जल संसाधनों के दोहन की क्षमताओं का आंकलन करना है । इस योजना द्वारा मत्स्यकि के कार्य में जुडे लोगों के आर्थिक स्तर का भी विश्लेषण किया जाना है तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना मे सूचना प्रोद्यौगिकी को मत्स्यकि के कार्यक्षेत्र में बढ़ावा देकर इस कार्यक्षेत्र में तीव्रता लाना भी एक नया उद्देश्य जुड गया है । वर्ष 2010–11 में इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय अन्तर्देशीय मत्स्यकि अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार सोफ्ट वेयर द्वारा संकलन (Compilation) करने का कार्य इस वर्ष जारी रहा ।

क्रमांक	योजना का नाम	स्वीकृत बजट	वर्ष 2010–11 में व्यय
1.	मत्स्यकि में आंकड़े के आधार को सुदृढ़ करना तथा सूचना प्रोद्यौगिकी को बढ़ावा देना ।	10.50 लाख	10.488 लाख

(ण) मत्स्य अनुसंधान 'हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय'

मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय को वर्ष 1981–82 से अनुदान प्रदान कर रहा है । इस विश्वविद्याालय को प्रदेश के विविध जलवायु के अनुरूप मत्स्य पालन हेतू तकनीक विकसित कर मछली रोगों की रोकथाम पर अनुसंधान का दायित्व दिया गया है, अनुसंधान कार्य एक लम्बी प्रक्रिया है । अतः अनुदान प्रणाली आगामी वर्षो में भी जारी रखी जाएगी । इस वर्ष 2 लाख रुपये के प्रावधान से पूर्ण राशि विश्वविद्यालय को मार्च, 2011 तक अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई जा चुकी है ।

विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएँः–

(क) माहीगीर समूह दुधर्टना बीमा योजना :

प्रदेश के मछुओं की मछली का शिकार करते समय दुर्घटना में मृत्यु हो जाने या अपंग हो जाने पर क्रमशः उनके आश्रितों या उनके अपने

जीवनयापन के लिए इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना जलाशयों में गिल जाल तथा नदियों में फेंकवा जाल से मत्स्य ग्रहण करने वाले समस्त माहीगीरों के लिए लागू की गई है । इस योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले प्रीमियम को केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में अदा करने का प्रावधान है । इसलिए माहीगीर को प्रीमियम के रूप में कोई भी राशि अदा नहीं करनी है । बीमित माहीगीर की मृत्यु की दशा में उसके आश्रितों को 50,000/– रू0 तथा अपंगता की दशा में उसे 25,000 रू0 प्रदान किये जाने का प्रावधान था किन्तु विभाग के अथक प्रयासों के कारण वर्ष 2009–10 में इस राशि को बढ़ा कर क्रमशः 1,00,000/–रू0 व 50,000/–रू0कर दिया गया है । वर्ष 2010–11 के दौरान इस योजना के कार्यान्वन में 7118 मछुओं की बीमा सुरक्षा पर मु0 1,03,211/–रू0 का राज्य भाग तथा इतनी ही राशि केन्द्र भाग के रूप में व्यय की गई।

(ख) मछुआरा जोखिम निधि योजनाः

मछुआरों को मछली आखेट करते समय कई बार प्रकृतिक आपदाओं के कारण अपने जालों, किस्तियों और तम्बुओं से हाथ धोना पड़ता है । मछुआरों को उक्त आपदाओं के कारण हुए नुकसान की एक सीमा तक भरपाई किये जाने के लिए मछुआरा जोखिम निधि की स्थापना की गई है । प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त संयत्रों की मुरम्मत हेतू इन संयत्रों के कुल मूल्य का 33 प्रतिशत भाग इनको मुरम्मत हेतू इस जोखिम निधि से आर्थिक सहायता के रूप में अदा किया जाता है । इस निधि में वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में प्रत्येक सदस्य मछुआरा

अनुज्ञाप्ति पत्र प्राप्त करते समय छः रुपये जमा करवाएगा और इस प्रकार से जमा कुल राशि के बराबर की राशि प्रदेश सरकार द्वारा जमा करवाने का प्रावधान है । इस वर्ष जलाशयों के माहिगिरों द्वारा 20/-रू0 की दर से इस कोष में कुल 78,752/-रू0 का अंशदान एकत्रित किया गया ।

(ग) जलाशय मछुआरों के लिए अशंदायी बन्द सीजन राहत योजनाः

प्रदेश के समस्त जलों में मछली को प्राकृतिक सम्बर्न्धन द्वारा वशंवृद्धि करने के लिए राज्य में 01 जून से 31 जुलाई तक की अवधि को वर्जित काल के रूप में रखा गया है तथा इसमें मछली पकडने पर पूर्ण प्रतिवन्ध लगाया गया है । यह वर्जित कालराज्य के सभी

सार्वजनिक जलों में लागू है । इसलिए राज्य के जलाशयों में कार्यरत पूर्णकालिक मछुआरे इस बन्द मौसम के समय में बेरोजगार हो जाते हैं । जलाशय के इन मछुआरों को बन्द मौसम की इस 2 मास की अवधि में आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत इस अशंदायी आर्थिक सहायता स्कीम की स्थापना की गई है । इस स्कीम में वित्तीय संसाधनों के रूप में जलाश्यों में कार्यरत और स्कीम में सम्मिलित प्रत्येक मछुआरा प्रत्येक वर्ष अगस्त से मई 10 महीनों तक अपनी मत्स्य सहकारी सभा के माध्यम से 400 रू0 प्रतिमाह अपना अशंदान इस कोष में जमा करवाता है । इस प्रकार से जमा कुल 1200 रू0 में केन्द्रीय सरकार 400 रू0 प्रति माहीगीर और प्रदेश सरकार 400 रू0 अपना अशंदान जमा करते हैं । इस प्रकार से एकत्रित कुल अशंदान 1200 रू0 प्रति माहीगीर को दो माह के मछली पकडने के बंद मौसम में क्रमशः 600-600 रू0 वितरित किये जाते हैं । इस स्कीम में केवल वही माहीगीर लाभान्वित किये जाते हैं जो किसी प्रकार के अवैध मत्स्य आखेट में संलिप्त नहीं होते हैं । इस वर्ष के बंद मौसम में गोविन्दसागर व पौंग डैम के 3038 माहीगीरों को इस स्कीम के अर्न्तगत आर्थिक सहायता के रुप में 24.30 लाख रूपये वितरित किए गए ।

(घ) राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाः–

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत प्रदेश में ट्राऊट पालन को बढ़ावा देने की दृष्टि से निजि क्षेत्र में ट्राऊट पालन इकाईयों की स्थापना की जा रही है । इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र में स्थापित बीज फार्मों को आधुनिक उपकरणों से सुदृढ़ तथा जलाशय के मछुओं को चरणबद्ध रूप में गिल जाल क्रय करने पर सहायकता भी प्रदान की गई । वर्ष 2010–11 में प्रदेश में ट्राऊट इकाइयों की स्थापना पर रु0 2.34 लाख तथा चार सामुदायिक तालाबों के निर्माण के लिए रु0 10 लाख व्यय किए गए हैं । जलाशय के 966 मछुआरों तथा नदीय मात्स्यिकी के 3164 माहिगिरों को क्रमशः रु0 29 व 12 लाख के मत्स्य उपकरण भी उपलब्ध कराए गए ।

9. नीतिगत सूत्रपातः

वर्ष 2009–10 में मत्स्य नियमों 1979 के अन्तर्गत लाईसैन्स शुल्क में बढौतरी का प्रस्ताव (सातवां संशोधन) सरकार को अनुमोदनार्थ भेजा गया है जोकि सरकार के विचाराधीन है ।

10. प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधारः

1. मत्स्य विभाग में ई–समाधान प्रणाली को आरम्भ करने के उपरान्त वर्ष में ई–समाधान के अन्तर्गत 12 शिकायतें प्राप्त हुई जिनका निपटारा कर दिया गया है ।

2. कार्यालय प्रणाली में सुधार लाने की दृष्टि से विभाग में ई–सर्विस प्रणाली भी आरम्भ कर दी गई है ।

11. पंचवर्षीय योजना 2007–12 तथा वार्षिक योजना 2011–12 के वित्तीय प्रावधान एवं निर्धारित लक्ष्यः–

(i) वित्तीय प्रावधानः

क्रमॉंक	योजना का नाम	11वीं पंचवर्षीय योजना को वित्तीय प्रावधान (राशी लाखों में)	वार्षिक योजना 2011–12 को वित्तीय प्रावधान (राशी लाखों में)
1.	निदेशन एवं प्रशासन	85.50	33.88
2.	जलाशय मत्स्यकि का विकास एवं प्रबन्ध		
	(a) जलाश्य संरक्षण	12.97	2.00
	(b) मत्स्य बीज उत्पादन	431.06	87.97
3.	क्रीड़ा मत्स्यकि का विकास एवं रख रखाव (ट्राऊट बीज फार्म)	249.80	76.64
4.	कार्प बीज फार्मों का विकास एवं रख–रखाव	359.87	2.71
5.	प्रशिक्षण एवं विस्तार		1.60
6.	ताजे जल में मत्स्य पालन को बढ़ावा देना		
	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के अन्तर्गत	92.10	20.00
7.	800- अन्य व्यय		
	(a) मछुआरों का रिस्क फण्ड	86.00	1.70
	(b) मछुआरों का कल्याण		13.35
	(c) मछुआरा दुर्घटना बीमा योजना		1.15
8.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	---	37.00
	योगः–		**278.00**
7.	अनुसूचित जाति उप योजना	150	22.00
9.	जनजातिय उप योजना	107	16.00
	कुल योग :–	**1595.00**	**316.00**

(ii) निर्धारित लक्ष्य :

क्र0 सं0	मद	मात्रा	11वीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य	वार्षिक योजना 2011–12 के लिए निर्धारित लक्ष्य
1.	मत्स्य उत्पादन	टनों में	40000	7550
2.	कार्प बीज उत्पादन	लाखों में	1000	210
3.	ट्राऊट ओवा उत्पादन	लाखों में	9	10
4.	कार्प बीज फार्मों की स्थापना	संख्या	9	1
5.	ट्राऊट बीज फार्मों की स्थापना	संख्या	7	1
6.	नर्सरी क्षेत्रफल	है0	17	0.2

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF FISHERIES
INFORMATION UNDER
RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005 SECTION 4(1)(B):

(i) Particulars of organization, functions and duties of the department:

Function :

1. To increase fish Production in the State by judicious management of all the culturable water resources.
2. Mangement and Development of reservoir fishery in the State.
3. To undertake breeding programme of Indian and Exotic fish species for augmenting the seed stocking programme in reservoirs, river, streams and tributaries.
4. Implementaion of HP Fisheries Act and Rules thereunder.
5. To promote commercial Rainbow Trout farming in the high altitude areas.
6. To promote aquaculture in the State by providing technical and financial assistance to the fishermen and rural youths.
7. To generate employment opportunities by the fisheries activities and ameliorating the condition of fishermen of the State.

Duties:

The Formulation of schemes/modelatives for all the function of the department as mentioned above and implementation of HP Fisheries Act 1976 and Rules 1979.

(ii) Powers and duties of its officers and employees of the department.

Powers of Officers:

Powers and duties of officers have been illustrated in HPFR Vol. I & II. The functions and duties of other employees have been discussed in H.P.Govt. Office Manual with time-to-time amendments issued by the Govt. of Himachal Pradesh.In pursuance of Finance Department letter No. Fin-1-C(14)1/83, dated 6th September 1995, Financial Powers have been re-delegated to all Drawing and Disbursing Officers in the Fisheries Department Himachal Pradesh as under:-

Sr. No.	Nature of Powers	Authority to which the power delegated	Extent of Power
1. OFFICE EXPENSES			
1.	Maintenance of office machines & equipments	All Deputy Director of Fisheries. All Asstt. Director of Fisheries.	Upto Rs. 2000/- per item at time. Upto Rs. 1000/- per item at a time.
2.	Purchase of office machines & equipments	All DDFs/ ADFs	All purchase of individual items upto Rs. 2000/- limited to Rs. 20,000/- per year.
3.	Purchase of Charcoal	All DDFs/ ADFs	Full powers for the prescribed winter seasons and at the rate approved by the controller of stores in HP.
4.	Electricity, Water Charges & Telegrams	All DDFs/ ADFs	Full powers.
5.	Telephone	All DDFs/ ADFs	Upto 5,000/-
6.	Purchase of Technical books	All DDFs/ ADFs	Upto 500/-
7.	Purchase of Non-technical books i.e. Service matter books	All DDFs/ ADFs	Full powers provided expenditure on any one book does not exceeds to Rs. 500/-
8.	Periodicals/ Journals	All DDFs/ ADFs	Subscription for periodical/ journals limited to 1000/- per annum
9.	Petty purchases of local stationery	All DDFs/ ADFs	Upto Rs. 300/- for each purchase only in emergent cases limited to Rs. 2000/- per annum.

	2. MOTOR VEHICLE		
1.	For repair/ spare parts & consumable access	All DDFs/ ADFs	Upto Rs. 3000/- at a time limited to Rs. 20,000/- per annum.
2.	For P.O.L.	All DDFs/ ADFs	Full powers subject to further instructions of HP Govt. from time to time.
3. MATERIAL & SUPPLY			
1.	Purchase of Fish Feed, Fishing equipments and other equipments	All DDFs/ ADFs	1. Full powers on the rates approved by the departmental standing committee. 2. Fish feed purchase in emergent cases in the absence of finalization of rates by the central purchase committee Rs. 1000/- at a time limited upto 3,000/- per annum after observing all codal formalities.
		DDF, Patlikuhl	Full powers for purchase of fish feed, fishing equipments, wetfeed and medicines in emergent cases.
	4. FISH FARM MANAGEMENT		
1.	Purchase of lime/ manure/ synthetic and pituitary Harmones and other petty expenses	All DDFs/ ADFs	Upto Rs. 2000/- at a time limited to Rs. 5000/- per annum for each farm.
	5. MAINTENANCE		
1.	Maintenance of Farms & repair of water supply lines.	DDF Patlikuhl	Upto Rs. 2500/- at a time limited to Rs. 10000/- per annum.
		All DDFs/ ADFs	Upto Rs. 2500/- limited to Rs. 5000/- per annum.

6. HOSPITALITY & ENTERTAINMENT			
1.	Refreshment at official meetings as per norms fixed under rules	DDF(Hqrs.) DDF, Patlikuhl All ADFs	Rs. 2000/- per annum. Rs. 1000/- per annum. Rs. 500/- per annum.
7. MACHINERY & EQUIPMENT			
1.	For urgent repair of feed mill & Cold Store assembly.	DDF, Patlikuhl	Rs. 3000/- at a time.

Note:- All the above delegated financial powers are subject to budget provisions/ availability.

DUTIES OF THE OFFICERS & EMPLOYEES;

Director-cum-Warden of Fisheries, Himachal Pradesh.

- Head of the Department.
- To formulate various schemes for Development and Management of Inland Fisheries, Reservoir Fisheries and Cold Water Aquaculture in the State.
- To coordinate with the Union Ministry, Govt. of HP and other Departments for formulation & implementation of the various welfare schemes for fishermen, assistance to fish farmers, special schemes for SC & ST, providing employments and developing schemes in Tribal areas.
- Implementation of Central Sponsored Schemes in the State.
- To hold meeting with the controlling officers of the Department for proper implementation of schemes.
- Allocation of budget and targets.
- Inspection of ongoing/ new works/ schemes/ projects.
- First appellant Authority of Fisheries Department under RTI act.

Deputy Director of Fisheries:

- Assist the Director-cum-Warden of Fisheries in framing various plans and schemes.
- Execute the plans & schemes earmarked by the Director of Fisheries.
- Budget control of various Fisheries schemes under him.
- D.D.O. of staff working under him.
- Technical / Administrative control of area under his jurisdiction and on the work of staff under his control.
- To attend review meetings.
- Under RTI act designated as Public Information Officer under their juridiction.

Assistant Director of Fisheries:

- Technical / Administrative control of area under his jurisdiction and on the work of staff under his control.
- Execute the plans & schemes earmarked by the Dir ctor of Fisheries.
- Budget control of various Fisheries schemes under him.
- D.D.O. of staff working under him.
- To attend review meetings.
- Assessment of impact of Hydel Power Projects envisaged in their areas and furnish the survey report.
- Quality fish seed supplies & technical assistance to the fish farmers.
- Implementation of the HP Fisheries Act 1976 and Rules 1979.
- Issuing license to the fishermen.
- Under RTI act designated as Public Information Officer under their juridiction.

Senior Fisheries Officer:

- To look after breeding, feeding, brood stock management in farms under their control.
- Distribution of fish seed to the fish farmers on demand against payment.
- To process various schemes under component plan.
- Process FFDA's cases and subsidy cases of fish farmers.
- To assist the Asstt. Director of Fisheries in the implementation of various schemes and plans.
- To issue licenses for fishing by the fishermen in the rivers under his jurisdiction.
- To compound illegal fishing cases.
- Imparting training and facilitation of technical assistance to the fish farmers.
- Under RTI act designated as Assistant Public Information Officer under their juridiction.

Fisheries Officer:

- To look after breeding, feeding, brood stock management at farms under their control.
- Distribution of fish seed to the fish farmers on demand against payment.
- Management & Development of Inland Fisheries, Reservoir Fisheries and Cold Water Aquaculture.
- Process FFDA's & subsidy cases of fish farmers.
- To assist the Asstt. Director of Fisheries in the implementation of various schemes and plans.
- To issue licenses for fishing by the fishermen in the rivers in his jurisdiction.
- To compound illegal fishing cases.
- Imparting training & technical assistance to the fish farmers.
- Under RTI act designated as Assistant Public Information Officer under their juridiction.

Sub Inspector Fisheries:

- Recording of fish landings at their respective lending centers.
- Implementing Fisheries Act and Rules.
- Assist Fisheries Officers/ Sr. Fisheries Officer in the Management of Fish farms/ hatcheries.

Field Assistants/ Fishermen:

- Conservation of riverine and reservoir fisheries.
- To check illegal fishing and illegal sale of fish.
- Extension workers of department for aquaculture schemes.
- Maintenance of Fish Farms, water supplies, feeding practices, sale of fish, cleaning of tanks/ raceways ponds and allied works.

Farm Assistant:

- Incharge of live stock at fish farm
- Help in feeding & breeding of fish.
- Packing of fish seed etc.
- Supervise the work of Fishermen/ Field Assistants posted at farms.

Feed Mill Mechanic:

- Operation of departmental feed mill, meant for manufacture of feed for trout fish.
- Minor repair of mill.

Pump Operator-cum-Helper:

- Operation of water pumps to maintain water supply to the farm.
- Help the mechanic in operation of farm machinery.

Superintendent Grade-I:

- To supervise all the works relating to administrative section.
- Deputing all Class-III & IV on duties including Driver and checking up their day-to-day functions.
- To ensure that all the dealing hands and diarist are maintaining all required registers and keep the same updated.
- To keep careful watch on the movement of dak and files between section and higher authorities.
- To ensure timely submission of time bound cases/ court cases.
- To ensure that all manuals, rules instructions, guard file and precedent registers of the sections are kept upto date.

Superintendent Grade-II:

- To intiate and supervise the works relating to the concerned branch (es). He shall ensure the timely pursuance of pending matters.
- To ensure timely submission of time bound/courtcases.
- To ensure that all manuals, rules instructions, guard file and precedent registers of the section are kept upto date.

Personal Assistant:

- Maintaining the day-to-day meeting index of the Director-cum-Warden of Fisheries.
- To attend the telephone calls of the Director.
- Dictation given by the Director.
- Other duties assigned by the officer Incharge.

Senior Assistant:

- Opening and maintenance of files referencing, deal the cases including noting and drafting recording of files, maintenance and updating of various types of data and maintenance of various registers of their respective branch.
- Establishment matters including recruitment and promotion rules, maintenance of service book, service record preparation of leave account, pension papers, disciplinary matters and personal files etc.
- Fixation of Pay of all categories, including technical staff, posting, transfer, finalization of seniority and cases of ACP, Court cases and other miscellaneous matters.

Senior Scale Stenographer/ Steno typist:

- Dictation and typing work given by the officer.
- Other typing work of the department.
- Other duties assigned by the officer Incharge.

Jr. Assistant/ Clerk:

- All typing work assigned to them.
- Assist the Sr. Assistant in preparing information/ report and maintenance of record registers.
- Other duties assigned by the officer Incharge.

Peon:

- Handling files between different branches of the offices.
- Deliver local official letter to other offices.
- Perform other duties assigned by the officer Incharge.

(iii) The procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability

The schemes executed by the department are provided in the annual schedule of expenditure of the State Govt. All the proposals are funded under different programmes, after obtaining the consent and concurrence of the Govt. The implementation part is as follows: -

1. **Aquaculture Scheme:**

The schemes are elaborated in all Panchayati Raj Institution (PRI) meetings, State & District level fairs through exibitions and field staff. The Fisheries field assistants help to process the cases after that the site is surveyed /approved by the concerned Fisheries officers/Senior Fisheries Officer/Assistant Director of Fisheries after verifying the ownership of the land. Estimates are prepared by Junior Engineer. The financial assistance is released as per the progress of work and provisions in the scheme.

The construction portion is finally checked by the J.E of the Department/PWD/Block and final payment is released after the completion of the work as per estimate.

Junior Engineer issuing completion certificate, alongwith Assistant Director of Fisheries/Senior Fisheries officer/Fisheries officer of the area are responsible for any type of lapse in the work.

2. **Fishermen Welfare Schemes:**

   The identification of the fishermen in Reservoirs is done at the Fishermen co-op society level, after the recommendation of society and fisheries officer landing center of the area. The application alongwith recommendations are submitted to Assistant Director of Fisheries of the concerned reservoir. The rates /firm of gill nets cast nets & Twine etc. are approved by central purchase committee at the Directorate level by inviting tenders through National Newspapers. The supply order as per demand from Fishermen is given by the concerned Assistant Director of Fisheries to the supplier and material received is checked by Assistant Director of Fisheries and then it is distributed to the concerned Fishermen through Fisheries officer.

3. Simillarly the Fish carts and all other welfare schemes are being implemented as per provision under the scheme.

4. All concerned in the implementation of the welfare schemes are accountable for any lapse.

(iv) Norms set by the department for the discharge of its functions:

The norms as set out in the guidelines of various programmes being implemented by the Department are followed in discharge of the functions of the Department.

The Directorate allocates target and budget to all the controlling officers under different schemes and plans. The achievement is judged by reviewing the progress in terms of budget utilization, fish production, seed production, revenue, and employment generation target.

The Farm Incharge (Fisheries Officer/Sr. Fisheries officer) are responsible to achieve the production targets of fish seed fixed for the farms. The seed is stocked in the reservoirs and sold to the private fish farmers of the State at the rate fixed by the Government. These farm incharges are also required to achieve the annual targets of fish production i.e. carp as well as Trout Production.

Simillarly Assistant Director's of Fisheries Incharge of Reservoirs are provided target of fish production keeping in view the consolidated targets of fish production of State.

Besides fish production targets every District-head is responsible for the achievement of employment generation targets fixed for the year, keeping in view the budget provisions under various welfare schemes.

(v) The rules, regulations, instructions, mannuals and record held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions:

The following Rules and Regulations are used by the Department employees for discharging their functions:-

1. HP Fisheries Act 1976 and Rule 1979.
2. CCS Leave Rules.
3. CCS and CCA Rules.
4. HP FR Rules & Treasury Rules.
5. HP FR & SR Rules.
6. Medical attendance Rules.
7. General Finance Rules.
8. HB Advance Rules.
9. Delegation of Financial Power Rules.
10. Leave Travel Concession Rules.
11. Budget Manual
12. Office Manual
13. Vehicle Rules.
14. Pension Rules.
15. G.P.F. Rules.

(vi) Statement of the categories of documents that are held by the department or under its control:

The statement of various categories of documents applicable in functioning of Department of Fisheries, Himachal Pradesh and lying under its control are as follow:-

ACCOUNTS:

1. Monthly accounts.
2. Expenditure returns.
3. Cash Book.
4. Receipt Book.
5. Cheque Book.
6. Budget file.
7. CAG Reports.
8. Audit Report

ESTABLISHMENT:

1. Diary Dispatch registers.
2. Casual leave account register.
3. Attendance registers.
4. Service Book of staff.
5. Staff Inventory Returns.

MISCELLANEOUS:

1. Booklet of Annual Budget allocated by the Govt. under different plans & schemes.
2. List of capital works under execution in the department.
3. Statement of different welfare schemes for the fishermen and fish farmers under implementation in the deptt.
4. H.P. Fisheries Act & Rules.
5. Annual Administrative report of the Department.
6. Master register of files.
7. Log book of vehicles.

8. Stamp register.
9. Reply to Assembly & Parliamentary question files.
10. Vidhan Sabha Committee Reports.

The above documents, manual of orders, specification codes are readily available with the Directorate/ all the Deputy Director of Fisheries/ Asstt. Director of Fisheries offices.

(vii) Particulars of any arrangement that exists for consultation with or representation by, the members of the public in relation to the formulation of department policy or implementation thereof:

The website of the Department, www.himachal.nic.in/fisheries acts as an information tool for the general public and thus facilitates in the implementation of the policies/ guidelines issued by the department. State Level Planning Meeting with all MLAs under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister is held annually. The department also organizes conferences, workshops, and meetings where suggestions from the elected representatives and Non Governmental Organizations (NGOs) are taken care of for the implementation of programmes, District level 20 Point Programme Committee and Grievances Committee are also constituted by the Govt., that have membership of public representatives and quarterly meetings are held at district level.

(Viii) Statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as a part of the department for the purpose of its advice, and as to whether meeting of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public:

The following committees have been constituted:-

1. Apex Committees

a). Governing body of H.P. Fish Farmer Development Agencies .
b). Reservoir Development Committee.
c). NOC Committee for Hydropower Projects.

2. Directorate Level Committees

a). Store Purchase Committee.
b). Departmental Promotion Committee.
c). Risk Fund Committee.

3. District level committee:

a). Store Purchase Committee.

Meeting of the all above committees as well their minutes except Departmental Promotion Committee are accessible for public.

(ix) DIRECTORY OF OFFICERS AND EMPLOYEES:

S.N.	Name of Class/ Category	Sanctioned Strength	In position	Vacant
1.	Director-cum-Warden of Fisheries	1	1	0
2.	Deputy Director Fisheries	2	2	0
3	Assistant Engineer (Civil)	1	1	1
4	Superintendent – I	1	0	1
	Total	**5**	**3**	**2**
5	Assistant Director of Fisheries	11	10	1
6	Section Officer (SAS)	1	1	0
7	Superintendant Grade – II	4	4	0
8	Personal Assistant	1	1	0
	Total	**17**	**16**	**1**
8	Junior Engineer Civil	2	1	1
9	Senior Fisheries Officers	7	4	3
10	Fisheries Officers	31	23	8
11	Senior Assistant	9	9	0
12	Statistical Assistant	2	0	2
13	Senior Scale Stenographer	1	1	0
14	Sub-Inspector-Fisheries	15	8	7
15	Steno-typist	1	0	1
16	Junior Assistant/ Clerk	39	22	17
18	Farm Assistant	7	6	1
19	Driver	9	8	1
20	Motor Boat Driver	4	3	1
21	Mechanic (Auto)	1	1	0
22	Sale Man-cum-clerk	1	0	1
23	Feed Mill Mechanic	1	1	0
24	Pump Operator	1	1	0
	Total	**131**	**88**	**43**

25	Fisheries Field Assistant	143	125	18
26	Fishermen	48	38	10
27	Fieldman	3	0	3
28	Cleaner	1	0	1
29	Peon	22	22	0
30	Chowkidar	13	12	1
31	Chowkidar-cum-Sweeper	1	1	0
32	Sweeper	1	0	1
	Total	**232**	**198**	**34**
	G.Total	**385**	**305**	**80**

(x) Monthly remuneration received by each of its officers and employees including the system of compensation as provided in its regulations

Sr. No.	Name of Class/ Category	Pay scale as on 1.01.1996 (in Rs.)	Pay scale as on 1.01.2006 (in Rs.)	Pay band
		Class-I		
1.	Director-cum-Warden of Fisheries	14300-18600	**37400-6700**	8700
2.	Deputy Director Fisheries	7880-11660	10300-34800	5400
3	Assistant Engineer (Civil)	7880-11660	10300-34800	5400
4	Superintendent Grade-1	7220-11660	10300-34800	5000
		Class-II		
5	Assistant Director of Fisheries	7000- 10980	10300-34800	4400
6	Section Officer (SAS)	7000- 10980	10300-34800	4400
7.	Superintendant Grade –II	6400- 10640	10300-34800	4200
8	Personal Assistant	6400-10640	10300-34800	4200
		Class-III		
9	Junior Engineer Civil	5800-9200	10300-34800	3800
10	Senior Fisheries Officers	5800-9200	10300-34800	3800
11	Fisheries Officers	5480-8925	10300-34800	3600
12	Senior Assistant	5800-9200	10300-34800	3800

13	Statistical Assistant	5480-8925	10300-34800	3600
14	Senior Scale Stenographer	5800-9200	10300-34800	3800
15	Sub-Inspector-Fisheries	4020-6200	5910-20200	2400
16	Steno-typist	3330-6200	5910-20200	2000
17	Junior Assistant	4400-7000	5910-20200	2800
18	Clerk	3120-5160	5910-20200	1900
19	Farm Assistant	3120-5160	5910-20200	1900
20	Driver	3330-6200	5910-20200	2000
21	Motor Boat Driver	3120-5160	5910-20200	1900
22	Mechanic (Auto)	3120-5160	5910-20200	1900
23	Sale Man-cum-clerk	3120-5160	5910-20200	1900
24	Feed Mill Mechanic	3120-5160	5910-20200	1900
25	Pump Operator	3120-5160	5910-20200	1900
		Class-IV		
26	Fisheries Field Assistant	2820-4400	4900-10680	1650
27	Fishermen	2720-4260	4900-10680	1400
28	Fieldman	2720-4260	4900-10680	1400
29	Cleaner	2620-4140	4900-10680	1300
30	Peon	2620-4140	4900-10680	1300
31	Chowkidar	2620-4140	4900-10680	1300
32	Chowkidar-cum-Sweeper	2620-4140	4900-10680	1300
33	Sweeper	2620-4140	4900-10680	1300

(Xi) **The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditure and reports on disbursement made:**

Budget allotted to each its offices, indicating the particulars of All Plans for the year 2010-11.

1. Deputy Dirctor of Fisheries (Hqrs.), Bilaspur, HP.

Sr.No.	Head of Account/ Name of Scheme	Sanctioned Budget (Rs. in Thousand)	Expenditure upto 31-03-2011
1.	2405-00-001-01(SOON)	50	50
2.	2405-00-101-02(SOON) Carp Seed Production	130	130
3.	2405-00-109-02(SOON)	20	20

4.	2405-00-101-05(SOON)	1050	1049
5.	2405-00-109-02(C 80 N)	1	----
6.	2405-00-800-02(C 22 N)	1	----
7.	2405-00-8-03-S25N	1355	1355
8.	2405-00-800-01(SOON)	158	158
9.	2405-00-800-03(SOON)	110	107
	Total	**2875**	**2869**

2. Deputy Director of Fisheries, Patlikuhl (Kullu).

Sr.No.	Head of Account/ Name of Scheme	Sanctioned Budget (Rs. in Thousand)	Expenditure upto 31-03-2011
1.	2405-00-001-01(SOON)	--	--
2.	2405-00-101-03(SOON)	4502	4490
4.	2405-00-109-02(SOON)	15	15
5.	2405-00-101-06(SOONA)	64	64
	Total	**4581**	**4569**

3. Asstt. Director of Fisheries, Chamba.

Sr.No.	Head of Account/ Name of Scheme	Sanctioned Budget (Rs. in Thousand)	Expenditure upto 31-03-2011
1.	2405-00-001-01(SOON)	25	25
2.	2405-00-101-02(SOON) Carp Seed Production	100	100
3.	2405-00-101-03(SOON) Trout Seed Farm	86	86
4.	2405-00-101-04(SOON)	92	92
5.	2405-00-109-02(SOON)	10	10
6.	2045-00-800-02 S33N	36	36
7.	2405-00-101-06(SOONA)	178	176
8.	2045-00-800-02 C 33N	36	36
	Total	**563**	**561**

4. Asstt. Director of Fisheries, Bilaspur Division.

Sr.No.	Head of Account/ Name of Scheme	Sanctioned Budget (Rs. in Thousand)	Expenditure upto31-03-2011
1.	2405-00-001-01(SOON)	100	100
2.	2405-00-101-02(SOON) Conservation	90	89
3.	2405-00-101-02(SOON) Carp Seed Production	245	245
4.	2405-00-109-02(SOON)	15	15

5.	2405-00-101-04(SOON)	83	66
6.	2405-00-109-03-S25N	65	65
7.	2405-00-109-03-C75N	200	200
8.	2405-00-800-02(S 33 N)	574	574
9.	2405-00-101-06(SOONA)	1652	1652
10.	2405-00-800-02(SOONA)	574	574
	Total	**3598**	**3580**

5. Asstt. Director of Fisheries, Pong Dam.

Sr.No.	Head of Account/ Name of Scheme	Sanctioned Budget (Rs. in Thousand)	Expenditure upto 31-03-2011
1.	2405-00-101-02(SOON) Conservation	90	90
2.	2405-00-101-02(SOON) Fish Seed Production	280	275
3.	2405-00-101-04(SOON)	92	90
4.	2405-00-109-02(SOON)	15	15
5.	2405-00-109-03-S25N	80	80
6.	2405-00-109-03-C75N	223	223
7.	2405-00-800-02(C22N)	606	606
8.	2405-00-101-06(SOONA)	1475	1475
9.	**2405-00-800-02**	606	606
	Total	**3464**	**3460**

6. Asstt. Director of Fisheries, Palampur (Distt. Kangra & Hamirpur):

Sr.No.	Head of Account/ Name of Scheme	Sanctioned Budget (Rs. in Thousand)	Expenditure upto 31-03-2011
1.	2405-00-001-01(SOON)	115	115
2.	2405-00-101-02(SOON) Carp Seed Production	190	175
3.	2405-00-109-02(SOON)	20	20
4.	2405-00-101-04(COON)		
5.	2405-00-101-06(SOONA)	455	455
	Total	**820**	**807**

7. Asstt. Director of Fisheries, Solan (for district Sirmour):

Sr.No.	Head of Account/ Name of Scheme	Sanctioned Budget (Rs. in Thousand)	Expenditure upto 31-03-2011
1.	2405-00-101-01(SOON)	40	40
2.	2405-00-109-02(SOON)	10	10
3.	2405-00-101-06(SOON	114	114
	Total	**164**	**164**

8. Asstt. Director of Fisheries, Shimla

Sr.No.	Head of Account/ Name of Scheme	Sanctioned Budget (Rs. in Thousand)	Expenditure upto 31-03-2011
1.	2405-00-001-01(SOON)	125	125
2.	2405-00-101-03(SOON) Trout Seed Farm	104	104
2.	2405-00-109-02(SOON)	10	10
3.	2405-00-101-04(COON)		
4.	2405-00-101-06(SOONA)	72	72
5.	2405-00-101-02(SOONA)	20	19
	Total	**331**	**330**

9. Asstt. Director of Fisheries, Mandi

Sr.No.	Head of Account/ Name of Scheme	Sanctioned Budget (Rs. in Thousand)	Expenditure upto 31-03-2011
1.	2405-00-001-01(SOON)	85	85
2.	2405-00-101-02(SOON) Fish Seed Production	205	204
3.	2405-00-101-03-(SOON) Trout Seed Farm	170	165
3.	2405-00-109-02(SOON)	15	15
4.	2405-00-101-04(COON)		
5.	2405-00-101-06(SOONA)	350	350
	Total	**825**	**819**

10. Asstt. Director of Fisheries, Una.

Sr.No.	Head of Account/ Name of Scheme	Sanctioned Budget (Rs. in Thousand)	Expenditure upto 31-03-2011
1.	2405-00-001-01-(SOON)	30	29
2.	2405-00-101-02(SOON)	40	39
3.	2405-00-109-02(SOON)	10	10
4.	2405-00-101-06(SOONA)	15	15
	Total	**95**	**93**

11. Asstt. Director of Fisheries, Solan.

Sr.No.	Head of Account/ Name of Scheme	Sanctioned Budget (Rs. in Thousand)	Expenditure upto 31-03-2011
1.	2405-00-001-01(SOON)	47	47
2.	2405-00-101-02(SOON)	30	30
3.	2405-00-109-02(SOON	10	10
4.	2405-00-101-06(SOONA)	57	57
	Total	**144**	**144**

(Xii) Manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes:

The selection of beneficiary for advancement of subsidy is made by Sub Inspector Fisheries/Fisheries Officer/ Sr.Fisheries Officers and complete case forwarded to concerned Asstt. Director of Fisheries/ Dy.Director of Fisheries for sanction. The subsidy benefit is extended in kind within the limits, prescribed under the rules.

(Xiii) Particulars of recipients of concessions, permits or authorizations granted by it:

No specific concessions are granted by the department.

(xiv) Details in respect of the information available to or held by it, reduced in an electronic form:

- Information about the departmental schemes under implementation is also accessible at departmental website at http.// himachal.nic.in/fisheries.
- The website of the Department is being updated regularly.

(xv) **Particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working of a library or reading room, it maintained for public use:**

Information relating to the Department is displayed on Departmental website i.e. **http.//himachal.nic.in/fisheries.** Any citizen from the same can obtain this information. The provision/ facility of library or reading room for obtaining information for the public is not available in the Department of Fisheries, Himachal Pradesh.

(xvi) **The names, designation and other particulars of the public information officers**:

Himachal Pradesh Fisheries Department

STATE LEVEL

Appellate authority.	Designation & Office Address	Jurisdiction (area/subject)	E- mail Address	Telepho e/ fax No.
First Appellate Authority	Director-cum-Warden of Fisheries Directorate of Fisheries, Bilaspur, HP	Entire State of Himachal Pradesh.	dirfisheries-bil-hp@nic.in	01978- 224068 (Off.) 223390 (Resi.) Mobile: 94181-18899

STATE LEVEL

PIO/ APIO	Designation & Office Address	Jurisdiction (area/subject)	E- mail Address	Office Telephone No.
PIO	Deputy Director of Fisheries(Hq.)Directorate of Fisheries, Bilaspur, H.P.-174001	Entire State of Himachal Pradesh	ddfisheries-bil-hp@nic.in	01978-223212 (Off.)
PIO	Assistant Director of Fisheries (Hq.)	Entire State of Himachal Pradesh	adfisheries-blp-hp@nic.in	01978-223212 (Off.)
PIO	Assistant Director of Fisheries (20 Point)	Entire State of Himachal Pradesh		01978-223212 (Off.)

PIO/ APIO	Designation & Office Address	Jurisdiction (area/subject)	E- mail Address	Office Telephone No.
APIO	Superintendent Grade-II, Directorate of Fisheries, Bilaspur, HP-174001	Entire State of Himachal Pradesh		01978-223212 (Off.)

DISTRICT LEVEL

Sr No.	Designation & Office Address	Jurisdiction (area/subject)	E- mail Address	Office Telephone No.
		BILASPUR DISTRICT		
PIO	Asstt. Director of Fisheries, Bilaspur Division, H.P.	District Bilaspur	-	01978-222568 (Off.)
APIO	Fisheries Officer Deoli (Ghagus)Bilaspur.	Fish Farm Deoli (Ghagus)	-	-
APIO	Fisheries Officer, Lathiani, District Una	Fish Landing Centre Lathiani	-	-
APIO	Fisheries Officer, Bakhra, District Bilaspur	Fish Landing Centre, Bakhara	-	-
APIO	Fisheries Officer Conservation, Bilaspur	Fish Landing Centre Bilaspur.	-	-
APIO	Sub Inspector of Fisheries, Mandli	Fish Landing Centre, Mandli	-	-
APIO	Fisheries Officer, Zagatkhana	Fish Landing Centre, Zagatkhana	-	-
		MANDI DISTRICT		
PIO	Asstt. Director of Fisheries, Mandi Division, H.P.	District Mandi	adfmandi @yohoo. co.in	01905-235141 (Off.)
APIO	Fisheries Officer, Fish farm Alsu,	Carp Fish Farm, Alsu, Distt. Mandi.	--	--
APIO	Fisheries Officer, Trout Farm Barot, Mandi.	Trout Farm Barot, Distt. Mandi	--	--

KULLU DISTRICT				
PIO	Dy. Director of Fisheries, Patlikuhl, Kullu, HP	District Kullu	--	01902-240163 (Off.)
APIO	Sr.Fisheries Officer, Patlikuhl, Distt. Kullu	Indo Norway Trout Farming Project, Patlikuhl	--	01902-240163 (Off.)
APIO	Fisheries Officer, Batahar Hatchery, Distt. Kullu.	Batahar Hatchery, Distt. Kullu	--	--
APIO	Fisheries Officer, larji, Distt. Kullu.	Larji, Distt. Kullu	--	--
PONGDAM				
PIO	Asstt. Director of Fisheries, Pong Dam, Distt. Kangra.	Pong Reservoir	--	01893-288910 (Off.)
APIO	Fisheries Officer, Dhameta, Distt. Kangra.	Fish Landing Centre, Dhameta	--	--
APIO	Fisheries Officer, Dehra, Distt. Kangra.	Fish Landing Centre, Dehra	--	--
APIO	Fisheries Officer, Jawali, Distt. Kangra.	Fish Landing Centre, Jawali.	--	--
APIO	Fisheries Officer, Nagrota Surian, Distt. Kangra.	Fish Landing Centre, Nagrota Surian	--	--
APIO	Fisheries Officer, Barnali, Distt. Kangra.	Fish Landing Centre, Barnali	--	--
APIO	Fisheries Officer, Nandpur, Distt. Kangra.	Fish Landing Centre, Nandpur.	--	--
DISTRICT CHAMBA				
PIO	Asstt. Director of Fisheries, Chamba at Sultanpur, Chamba	District Chamba	--	01899-223801 (Off.)
APIO	Sr. Fisheries Officer, Chamba at Sultanpur, Chamba	District Chamba	--	-do-
APIO	Fisheries Officer, Trout Fish Farm Holi	Trout Farm Holi	--	--

HAMIRPUR & KANGRA (Excluding Pong Dam)				
PIO	Asstt. Director of Fisheries, Palampur, Distt. Kangra.	District Kangra (excluding Pong Reservoir) & Hamirpur	adfpalampur @yohoo.co.in	01894-231872 (Off.)
APIO	Senior Fisheries Officer , Hamirpur	District Hamirpur	--	--
APIO	Senior Fisheries Officer , Palampur	District Palampur	--	--
APIO	Sub-Inspector of Fisheries, Kangra	Fish Farm Kangra	--	--
DISTRICT KINNAUR & SHIMLA				
PIO	Asstt. Director of Fisheries, Shimla-5	District Shimla & Kinnour	--	0177-2830171(Off.)
APIO	Senior Fisheries Officer, Shimla	District Shimla	--	--
APIO	Fisheries Officer , Dhamwari	Trout Farm, Dhamwari	--	--
APIO	Fisheries Officer, Sangla	Trout Farm, Sangla	--	--
DISTRICT SIRMOUR & SOLAN				
PIO	Asstt. Director of Fisheries, Solan at Shamti, Solan, HP	District Solan & Sirmour	--	01792-229454(Off.)
APIO	Sr. Fisheries Officer, Nahan, Distt. Sirmour.	District Nahan	--	--
APIO	Jr. Assistant, Asstt. Director of Fisheries, Solan	District Solan	--	01792-229454(Off.)
DISTRICT UNA				
PIO	Asstt. Director of Fisheries, Una, H.P.	District Una.	adfuna@yohoo.co.in	01975-227792 (Off.)
APIO	Jr. Assistant o/o Asstt. Director of Fisheries, Una.	District Una.	--	-do-
APIO	Sub-Inspector of Fisheries, o/o ADF Una, Distt. Una	District Una	--	-do-